



# भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं. म.क्षे.का/क्यूएम/एल-8002208.3

Licence No. CRO/QM/ L- 8002208.3

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) द्वारा प्रदान/नवीकरण की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो  
By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act 2016 (11 of 2016), the Bureau  
hereby grants/recertifies

मैसर्स जैनको बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड,  
3-5 पहला तल, एलएससी, बीक्यू ब्लॉक,  
डीडीए मार्केट, शालीमार बाग,  
दिल्ली- 110 088

M/s Jainco Buildcon Pvt Ltd.,  
3-5 First Floor, LSC, BQ Block,  
DDA Market, Shalimar Bagh,  
Delhi - 110 088

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है)। इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के गुणता प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर (रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान/नवीकरण करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा, IS/ISO 9001:2015 के अनुरूप गुणता प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताए गए पते (पत्तों) पर निर्मित/प्रदत्त/ प्रचालित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Quality Management Systems Certification in respect of the products and/or services of process particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/ provided/carried out by the Licensee at only the address (es) given above, and under the Quality Management Systems in accordance with

## IS/ISO 9001:2015

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबंध प्रवधानों के अंतर्गत स्वीकृत/नवीकृत किया गया है और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is grants/recertified subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made there under governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

यह लाइसेंस 18 फरवरी 2020 से 18 जुलाई 2022 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 18 February 2020 to 18 July 2022 and may be recertified as prescribed in the Regulations.

2020 के मार्च माह के छठे दिन हस्ताक्षरित एवं मुहूर्तित।

Signed, Sealed and dated this Sixth day of March 2020

(Dr. Rajiv K. Jha)

Deputy Director General (Central)  
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Last certification expiry date  
18 July 2019

Changeover Certification audit Date  
30 Nov 2019

\* Recertification Due Date  
18 July 2022

